न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2024 / 270 दर्ज तिथिः–12.07.2024

1. खीमराजसिंह पुत्र हीरसिंह
   जाति रावणा राजपूत निवासी नयानगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

......................वादी

बनाम

1. गोरधनसिंह पुत्र तगसिंह
2. जबरसिंह पुत्र तगसिंह
3. बलवन्तसिंह पुत्र तगसिंह
4. बिरबलसिंह पुत्र तगसिंह
5. शंकरसिंह पुत्र तगसिंह
   जाति रावणा राजपूत निवासी नया नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

................असल प्रतिवादीगण

6. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

..........................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री मोहनलाल विश्नोई
प्रतिवादीगणः–श्री हरिश चौधरी

वादपत्र अन्तर्गत धारा–188
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–07.07.2025

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 430 / 1 / 0.9308 है0, 493 / 1 / 1.5378 है0 मौजा नया नगर तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित हैं। वादी की उक्त पैतृक खातेदारी भूमि पर रहवास बनी हुई है तथा चारो तरफ पुरानी माठ बनी हुई है। वादीगण का उक्त पैतृक आराजी पर वक्त सेटलमेंट से निर्बाध रूप से कब्जा–काश्त चला आ रहा है। वादीगण की कब्जाशुदा आराजी एवं वादीगण की आराजी के पड़ौस में स्थित प्रतिवादीगण की आराजी खसरा संख्या 430 / 2 एवं 493 / 3 मौजा नया नगर अवस्थित है। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की पैमाईश करवा ली गई है। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण की उक्त आराजी का मूल खसरा एक ही था। तत्पश्चात आपसी विभाजन से वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा अपनी आराजी का विभाजन कर कब्जा काश्त अनुसार [illegible] करते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:13:14 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान खसरान राजस्व रिकॉर्ड में संधारित हुए हैं। परंतु उक्त विभाजन के दौरान मौके पर किसी प्रकार का नाप वगैरह नहीं किया गया था और पक्षकारान पूर्व कब्जे के आधार पर वर्तमान में काबिज हैं। प्रतिवादीगण बिना सीमाज्ञान एवं बिना नेखमबंदी के वादी के खेत की पुरानी माठ को तोड़ते हुए अनाधिकृत रूप से वादी की खातेदारी आराजी में प्रवेश करने पर अमादा हुए। वर्तमान में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में अपना कब्जा मानकर वादीगण की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा हैं। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन वकालतन हाजिर न्यायालय हुए तथा वाद पत्र पर जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादीगण की पृथक खातेदारी आराजी खसरा संख्या 430/2, 493/3 मौजा नयानगर पटवार हल्का नगर तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। प्रतिवादीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण के रहवासी ढाणीयां, पानी के टांके, मवेशियों के बाड़े आदि बनाए हुए है। साथ ही प्रतिवादीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी पर कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी के चारो तरफ बंदोबस्त के समय से माठे बनी हुई है। प्रतिवादीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी के सेढें पर वादी की खातेदारी आराजी अवस्थित है। असल में वादी के पिता हीरा तथा प्रतिवादी के पिता तगा की संयुक्त खातेदारी आराजी का दिनांक 30.01.1983 को आपसी सहमति से विभाजन करवाकर वादी व प्रतिवादीगण अलग—अलग खाता कायम करवाकर मौके पर काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण ने अपनी खातेदारी आराजी की नेखमबंदी करवाने हेतु हाजा न्यायालय में पत्रावली प्रस्तुत की। इससे कुरूद्ध होकर एवं प्रतिवादीगण की नेखमबंदी की कार्यवाही को रूकवाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया। अतः वादी का वाद—पत्र सारहीन होने के कारण काबिज—ए—खारिज है। तत्पश्चात् तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वादी साक्ष्य में रखी गई। प्रकरण में निम्नलिखित तनकीयात कायम किये गयेः—

- *आया वादीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 430/1 व 493/1 मौजा नया नगर तहसील गुडामालानी पर विरूद्ध प्रतिवादी मुताबिक वाद पत्र वर्णित अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।*

  .....*वादी*

- *आया वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी पर मेड़ तोड़कर अतिक्रमण करने के प्रयासों को स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के माध्यम से गलत रूप से प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के अपनी खातेदारी आराजी की नेखमबंदी की कार्यवाही को रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत करने के कारण दावा वादी काबिल—ए—खारिज है।*

  .....*प्रतिवादी*

- *आया वादीगण द्वारा बिना वादहेतुक उक्त स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत करने के कारण दावा वादी काबिल—ए—खारिज है।*

  .....*प्रतिवादी*

- *अन्य दादरसी*

  .....*उभय—पक्षकारान*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:13:14 IST
Reason: SelfAttested

3. वादी द्वारा प्रकरण में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। वादी द्वारा निम्न गवाह साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किए गएः—

क्र.स.	नाम मय वल्दीयत	निवासी
1	खीमराजसिंह पुत्र हीरसिंह जाति रावणा राजपूत	नया नगर तहसील गुड़ामालानी

4. प्रकरण में वादी द्वारा निर्धारित तिथि को साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर वादी का साक्ष्य का अवसर बंद किया जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादीगण में नियत की गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण दस्तावेजी साक्ष्य एवं गवाह साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हुए सीधे बहस का निवेदन किया गया।

5. प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस अधिवक्ता वादी द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादीगण की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया। दौरान—ए—बहस अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन में हाजा न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.04.2025 के अनुसार प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी की नेखमबंदी कार्यवाही हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किये जाने का निवेदन किया गया।

6. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में मुख्य अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:13:14 IST
Reason: SelfAttested

	वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

7. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

8. उक्त प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी आराजी वादीगण की निजी खातेदारी आराजी है तथा प्रतिवादीगण का उक्त वादीगण की खातेदारी आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 430/1/0.9308 है0, 493/1/1.5378 है0 मौजा नया नगर तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 430/1/0.9308 है0, 493/1/1.5378 है0 मौजा नया नगर तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
1.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 430/1/0.9308 है0, 493/1/1.5378 है0 मौजा नया नगर तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:13:14 IST
Reason: SelfAttested

2.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।	वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 430 / 1 / 0.9308 है0, 493 / 1 / 1.5378 है0 मौजा नया नगर तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
3.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 430 / 1 / 0.9308 है0, 493 / 1 / 1.5378 है0 मौजा नया नगर तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण की निजी खातेदारी आराजी परखातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है। 2. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 430 / 1 / 0.9308 है0, 493 / 1 / 1.5378 है0 मौजा नया नगर तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 3. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 430 / 1 / 0.9308 है0, 493 / 1 / 1.5378 है0 मौजा नया नगर तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 4. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 430 / 1 / 0.9308 है0, 493 / 1 / 1.5378 है0 मौजा नया नगर तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते है। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।

6. इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 430 / 1 / 0.9308 है0, 493 / 1 / 1.5378 है0 मौजा नया नगर तहसील गुड़ामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होता [illegible]गण की खातेदारी आराजी खसरा 430 / 1 / 0.9308 है0, 493 / 1 / 1.5378 है0 मौजा नया नगर तहसील गुड़ामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होने से सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:13:14 IST
Reason: SelfAttested

झुकाव रखता है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। साथ ही यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादीगण की आराजी की नेखमबंदी कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रखते हुए वादी का वाद स्वीकार किये जाने सहमति जाहिर की गई है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा अपनी आराजी की नेखमबंदी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रतिवादीगण की पृथक खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त हैं तथा प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में संधारित है। इस प्रकार प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी पर नेखमबंदी की कार्यवाही हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां भी वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः

आदेश है कि

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 430/1/0.9308 है0, 493/1/1.5378 है0 मौजा नया नगर तहसील गुड़ामालानी पर विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने—जोतने, काटने, लाने—ले जाने में रूकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी आराजी पर नेखमबंदी कार्यवाही हेतु स्वतंत्र हैं।

उक्त निर्णयानुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 07.07.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:13:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2024/270 दर्ज तिथिः–12.07.2024

1. खीमराजसिंह पुत्र हीरसिंह
   जाति रावणा राजपूत निवासी नयानगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.......................वादी

बनाम

1. गोरधनसिंह पुत्र तगसिंह
2. जबरसिंह पुत्र तगसिंह
3. बलवन्तसिंह पुत्र तगसिंह
4. बिरबलसिंह पुत्र तगसिंह
5. शंकरसिंह पुत्र तगसिंह
   जाति रावणा राजपूत निवासी नया नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.................असल प्रतिवादीगण

6. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

...........................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री मोहनलाल विश्नोई
प्रतिवादीगणः–श्री हरिश चौधरी

वादपत्र अन्तर्गत धारा–188
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

–ःपर्चा डिक्रीः–

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 430/1/0.9308 है0, 493/1/1.5378 है0 मौजा नया नगर तहसील गुड़ामालानी पर विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने–जोतने, काटने, लाने–ले जाने में रूकावट [illegible] के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:13:14 IST
Reason: SelfAttested

भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी आराजी पर नेखमबंदी कार्यवाही हेतु स्वतंत्र हैं।

यह डिक्री आज दिनांक 07.07.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाई गयी एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

कार्यालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:13:14 IST
Reason: SelfAttested